उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-8 (लेखा)

संख्या- 02/2018/ए-01/सात-न्याय-8-2018-24/28/88

लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2018

शुद्धि-पत्र

राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी 13 प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को आबद्ध किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 09, 10 एवं 11-01-2018 को पूर्वान्ह साक्षात्कार आयोजित किये जाने विषयक न्याय अनु0 8 (लेखा) के पत्र सं0-ए-522/सात-न्याय-8-17-24/28/88 दिनांक 22-12-2017 द्वारा निर्गत नोटिस के उप प्रस्तर में यह अपेक्षा की गयी थी कि निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने वायोडटा, जन्म प्रमाण पत्र एवं एडवोकेट पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ साथ अपनी परफारमेंस रिपोर्ट यथा विगत 07 वर्षों के दौरान आप द्वारा कितने मुकदमों में पैरवी करते हुए "शासन के पक्ष में निर्णीत कराये गये" महत्वपूर्ण मुकदमों के विवरण के साथ उपस्थित हों।

2- इस संबंध में सूचित करना है कि उक्त उप प्रस्तर में- "शासन के पक्ष में निर्णीत कराये गये" शब्द त्रुटिवश अंकित हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर विगत 07 वर्षों की अपनी वर्क परफारमेंस रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों। तद्नुसार निर्गत नोटिस दिनांक 22-12-2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अनिल कुमार उपाध्याय

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेस साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।